

सार्वजनिक पद पर आसीन लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

मेन्स के लिये:

सविलि सेवकों के लिये आचार संहिता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने कहा कि सार्वजनिक पद पर आसीन लोगों को आत्म-प्रतिबंध का प्रयोग करना चाहिये और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिये जो अन्य देशवासियों के लिये अपमानजनक हों।

- किसी सार्वजनिक पदाधिकारी के [भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता](#) के अधिकार पर प्रतिबंध के संबंध में पाँच-न्यायाधीशों की संवधान पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रखा।

नरिणय की मुख्य विशेषताएँ:

- **परिचय:**
 - न्यायालय ने कहा कि यदि कोई सार्वजनिक अधिकारी ऐसा भाषण देता है जिसका किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो **संबंध व्यक्ति के पास हमेशा इसके निपटान हेतु नागरिक उपाय होता है।**
 - न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 19(2) चाहे जो भी कहे, देश में एक **संवैधानिक संस्कृति है जहाँ एक अंतरनहित सीमा है** या ज़िम्मेदार पदों पर आसीन लोगों के भाषण अथवा अभिव्यक्ति पर कुछ **प्रतिबंध हैं।**
 - अनुच्छेद 19 (2) देश की संप्रभुता और अखंडता, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता आदि के हित में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगाने के लिये राज्य की शक्तियों से संबंधित है।
- **पूर्व के नरिणय:**
 - 2017 में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने विभिन्न मुद्दों को नरिणय के लिये संवधान पीठ को भेजा था, जिसमें यह भी शामिल था कि **क्या सार्वजनिक पदाधिकारी या मंत्री संवेदनशील मामलों पर विचार व्यक्त करते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दावा कर सकता है।**
 - इस मुद्दे पर एक आधिकारिक घोषणा की आवश्यकता उत्पन्न हुई क्योंकि ऐसे तर्क थे कि एक मंत्री व्यक्तिगत दृष्टिकोण **प्रस्तुत नहीं कर सकता** और उसके बयानों को सरकारी नीतिके अनुरूप होना चाहिये।
 - अदालत ने पहले कहा था कि वह **इस बात पर विचार करेगी कि क्या भाषण और अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार शालीनता या नैतिकता के उचित प्रतिबंध के तहत शासित होगा या मौलिक अधिकारों का भी इस पर प्रभाव पड़ेगा।**

आचार संहिता:

- **आचार संहिता किसी व्यक्ति या संगठन के लिये नियमों, व्यवहार या प्रथाओं के मानकों का एक सेट है जो किसी संगठन के नरिणयों, प्रक्रियाओं और प्रणालियों को इस तरह से निर्दिष्ट करती है जो इसके हितधारकों के कल्याण में योगदान देता है।**
 - उदाहरण के लिये भारत नरिवाचन आयोग की आदर्श आचार संहिता भारत के चुनाव आयोग द्वारा चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के संचालन के लिये जारी दिशा-निर्देशों का एक सेट है, जिसमें मुख्य रूप से भाषण, मतदान दविस, मतदान केंद्र, विभाग, चुनाव घोषणापत्र, जुलूस तथा सामान्य आचरण शामिल है।
- इसी तरह सविलि सेवकों के लिये कर्तव्यों का पालन करने और आचरण संबंधी नियमों को बनाए रखने के लिये संहिताओं का एक सेट निर्धारित किया गया है।

सविलि सेवकों के लिये आचार संहिता के सात सिद्धांत:

- **नसिवारथता:** सार्वजनिक पद धारण करने वालों द्वारा जनहित में नरिणय लिये जाने चाहिये। अपने परिवार या अन्य मतिरों के लिये धन या अन्य भौतिक लाभ प्रदान करने के लिये उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिये।

- **अखंडता:** सार्वजनिक कार्यालय के धारकों को किसी भी तरह के आर्थिक या बाहरी पार्टियों के दबाव में काम नहीं करना चाहिये, जो उन्हें ऐसा करने के लिये दबाव बनाते हैं।
- **वस्तुनष्टिता:** सार्वजनिक अधिकारियों को सार्वजनिक नयुक्तियों, अनुबंध पुरस्कारों और प्रोत्साहनों तथा भत्तों के लिये सफ़ारिशों सहित सार्वजनिक व्यवसाय करते समय योग्यता के आधार पर अपने नरिणय लेने चाहिये।
- **जवाबदेही:** सविलि सेवकों को उनकी स्थितिके अनुसार जाँच के दायरे में रखा गया है साथ ही, उन्हें जनता को उनकी पसंद और आचरण के लिये जवाब देना चाहिये।
- **खुलापन:** सभी वकिलूप और कार्य जो सार्वजनिक कार्यालय धारक करते हैं वे यथासंभव पारदर्शी होने चाहिये। जब व्यापक जनहति में स्पष्ट रूप से इसकी आवश्यकता होती है तो उन्हें अपनी पसंद के लिये औचित्य प्रदान करना चाहिये और केवल आवश्यक होने पर ही जानकारी को प्रतबंधित करना चाहिये।
- **ईमानदारी:** नौकरशाह का यह कर्तव्य है कि वह अपने सार्वजनिक कर्तव्यों से संबंधित नजि हतियों की घोषणा करे और ऐसे किसी वरिध के समाधान के लिये आवश्यक कदम उठाए जो सार्वजनिक हतियों की रक्षा करने में आड़े आता हो।
- **नेतृत्व:** इन वचिरों को बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिये सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा नेतृत्व का उपयोग कया जाना चाहिये।

आगे की राह

- कुछ नषिकर्ष लोक सेवा पर सामान्य रूप से लागू होते हैं जनिहें लोक सेवा के सात सदिधांतों के अतरिकित जोड़ा जा सकता है।
 - **आचार संहति:** सभी सार्वजनिक नकियों को इन सदिधांतों को शामिल करते हुए आचार संहति बनानी चाहिये।
 - **सवतंत्र जाँच:** मानकों को बनाए रखने के लिये आंतरिक प्रणालियों को सवतंत्र जाँच द्वारा समर्थित कया जाना चाहिये।
 - **शिक्षा:** सार्वजनिक नकियों में आचरण के मानकों को बढ़ावा देने तथा सुदृढ़ करने के लिये और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण के माध्यम से, जिसमें प्रारंभिक प्रशिक्षण भी शामिल है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष का प्रश्न

प्रश्न. दस आवश्यक मूल्यों की पहचान कीजिये जो एक प्रभावी लोक सेवक बनने के लिये आवश्यक हैं। लोक सेवकों में गैर-नैतिक व्यवहार को रोकने के तरीकों और साधनों का वर्णन कीजिये। (मुख्य परीक्षा, 2021)

प्रश्न. उपयुक्त उदाहरणों के साथ "नैतिक संहति" और "आचार संहति" के बीच भेद कीजिये। (मुख्य परीक्षा, 2018)

स्रोत: बजिनेस स्टैंडर्ड